

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी 2013—माघ 23, शक 1934

सहकारिता विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्र. एफ-5-4-2012-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 1 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा 13 फरवरी 2013 की तारीख को उक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए नियत करती है.

No. F-5-4-2012-XV-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section (1) of the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita (Nirsan) Adhiniyam, 2012 (No. 13 of 2013), the State Government hereby appoints the 13th February 2013 as the date on which the said act shall come into force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज श्रीवास्तव, उपसचिव.